28

-1- निग० 2608-I/16

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

श्रीमति सुमन लता पत्नि विजयकुमार जड़िया ,

निबारी ग्राम अजयगढ़, तहसील अंजयगढ़, जिला पन्ना म0 प्र0

................आवेदिका

बनाम

चन्द्रकुमार जड़िया तनय रामसजीवन जड़िया ,

निबारी ग्राम अजयगढ़ , तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना म0 प्र0

................अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता :--

आवेदिका की ओर से निम्न प्रर्थना है :--

1-- यह कि आवेदिका यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्र0 क0 236/अ-70 /2015-16 में पारित आदेश दिनांक 14/01/2016 से परिवेदित होकर कर रही है जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। आवेदिका द्वारा एक अपील अधिनस्थ न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी महोदय अजयगढ़ जिला पन्ना द्वारा प्र0 क0 35/अ-70/2014-15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30/10/2015 से परिवेदित होकर की थी।

2-- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सिंहपुर , तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना में उभयपक्षों की खानदानी भूमि थी, जिसका रजिस्टर्ड बंटवारा नामा दिनांक 16/11/1984 के द्वारा बंटवारा हो गया था। जिसके आधार पर राजस्व अभिलेख में भी ग्राम सिंहपुर की नामांतरण पंजी क0 08 में पारित आदेश दिनांक 18/12/1984 के द्वारा

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 2608/I/16 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
3.11.16	1-- आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया एंव अनावेदक के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन पत्र प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। उभय पक्ष अधिवक्ताओं के आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 4/1/16 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अतंर्गत प्रस्तुत की गयी है। 2-- उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अनावेदक चन्द्रकुमार द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें आवेदक के विरूद्व आदेश पारित होने पर उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उनके द्वारा निरस्त किए जाने पर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी तथा स्थगन की मांग की गयी तथा उनके द्वारा दिनांक 4/1/16 को स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3-- उभयपक्ष के तर्कों से स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रकरण अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में विचाराधीन है तथा उनके द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में इस निगरानी को आगे चलाया जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। उपरोक्त आधार पर यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है तथा अपर आयुक्त सागर को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश दिनांक से अधिकतम् दो माह की अवधि के अंदर प्रकरण का गुण दोषों पर विधि अनुसार निराकरण करें। तदानुसार यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	